



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

क्र.सं./1246,1248,1249,1250/विद्युत/2024

कोरबा, दिनांक 07.10.2024

## द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल(विद्युत) में उचित श्रेणी में पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दर पर मैन्युअल निविदा हेतु निविदा प्रपत्र फार्म-बी बेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र	कार्य का नाम (निगम मद)	प्राक्कलन राशि	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग-अ) खुलने की तिथि	निविदा दर (भाग-ब) खुलने की तिथि
1	कोरबा जोन अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का संचालन /संधारण/ मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी-श्रेणी	22.10.2024	24.10.2024
2	बालको जोन अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का संचालन /संधारण/ मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी-श्रेणी	22.10.2024	24.10.2024
3	दरौ जोन अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का संचालन/संधारण/ मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी-श्रेणी	22.10.2024	24.10.2024
4	सर्वमंगला नगर जोन अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का संचालन/संधारण/ मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी-श्रेणी	22.10.2024	24.10.2024

शर्त :-

- निविदा दरे मासिक /वाषिक दर के आधार पर ही भरी जावे, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइट :[www.korbamunicipal.in](http://www.korbamunicipal.in) एवं [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- B (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार होगा :-
  - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः...02

- 5 जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं ।
6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि, यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना पत्र के कंडिका क. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा ।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि कार्य प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा ।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा ।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी ।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी । जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी ।
15. मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयकों से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी । जिसे कार्य पूर्णता दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् किये गये कार्य सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी ।
16. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रु. 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक-पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 एवं तदन्तर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी ।
17. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
18. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा । एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
20. उक्त कार्य में लगे श्रमिकों को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी ।
- नोट:-
1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो ।
  2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे ।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को [Uad.cg.gov.in](http://Uad.cg.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

कार्यपालक अभियन्ता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम - .....

पूर्णपता - .....

.....

मोबाईल नं.....

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA

## Abstract

Sub :- Operation, Repairing and Maintenance of Street Light Arrangement Under Sarvmangla Nagar Zone

### Item Rate

S. No	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	Electrical Operation/ Maintenance of Street Light at Main Roads, Under Various Wards and Over all Electrical Maintenance of Nagar Nigam Building Under Sarvmangla Nagar Zone <b>The Details of Work to be done are As Follows :-</b>  (A) Under the Maintenance of Street Light system :- Repairing of Street Lights and its Relatted Equipements such as operating Pannel Junction Box Main Switch Cable fault etc. and Replacement the burnt/damaged Equipements, cable, etc. will be done by the contractor as per Requirement  (B) Electrical Maintenance of Building :- it includes all over electrical Maintenance work. such as repairing of wiring, replcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting Equipements as per Requirement will be done by the contractor  ( C ) Temprary Lighting arregment will be done by the Contractor in Various Events at Various Puplic Places from Time to Time  Note :- The New Electrical Materials if Required for The Work will be provide by the Corporation As per the Above Paragrapha	Job		Per Month	
					12 Month Total Rs.


  
Sub Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)


  
Assitt. Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)


  
Executive Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)

## कार्य की प्रकृति, नियम एवं शर्तें:-

- 1 स्ट्रीट लाईट की सप्लाय देने के लिए बिछाये गये अण्डर ग्राउण्ड आरमेड केबल सुधार, बदलने एवं बिछाने का कार्य भी ठेकेदार का होगा, यदि नई केबिल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निगम द्वारा प्रदान की जावेगी।
- 2 यदि रात में स्ट्रीट लाईट के सर्किट/कन्ट्रोल पैनल में खराबी आती है तो उसे रात में ही सुधारने की जबाबदारी ठेकेदार की होगी, ताकि स्ट्रीट लाईट रात्रिकालिन बंद न हो।
- 3 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में लगाये गये इलेक्ट्रीशियन के पास लाईसेंस (आई.टी.आई. प्रमाण पत्र) होना अनिवार्य है एवं हेल्पर जिसके पास विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण होना अनिवार्य है।
- 4 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में रखे कर्मचारियों की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। कम एवं अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं रखे जा सकेंगे।
- 5 ठेकेदार को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कांट्रैक्ट लेबर एक्ट 1960 व कांट्रैक्ट लेबर एक्ट 1969 के तहत नियमों का पालन करना होगा। कार्य अन्तर्गत रखे गये इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर की सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा बोनस, प्रोविडेंट फंड एवं किसी प्रकार के दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु इत्यादि होने पर समस्त जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
- 6 ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा साधन जैसे सेफटी शूज, हेल्मेट, रबर हैण्ड, ग्लोब्स, सेफटी बेल्ट, दिया जाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधन का इस्तेमाल करें अन्यथा ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य के दौरान सुधार कर्मियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 7 निदान-1100 से प्राप्त होने वाले शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर 24 घण्टे के भीतर किया जाना आवश्यक है। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 8 ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य अन्तर्गत विद्युत खम्भे की एल.टी./11 के.व्ही. विद्युत लाईन को चालू बंद करने हेतु विद्युत मण्डल कार्यालय से संपर्क कर पूर्ण किया जाना है एवं कार्य से पूर्व अनुमति संबंधित विभाग के कार्य प्रभारी द्वारा लिया जाना आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दुर्घटना की स्थिति में इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

  
उप अभियंता  
नगर पालिक निगम,  
कोरबा (छ.ग.)

  
सहायक अभियंता  
नगर पालिक निगम,  
कोरबा (छ.ग.)

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम,  
कोरबा (छ.ग.)